राइट टू बी फॉरगॉटन

प्रलिम्सि के लयि:

अनुच्छेद 21, सामान्य डेटा संरक्षण विनियिमन

मेन्स के लयि:

राइट टू बी फॉरगॉटन से संबद्ध विभिन्नि पहलू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक रयिलटिी शो के प्रतयिोगी ने दलि्ली उच्च न्यायालय में याचकिा दायर की है जसिमें उसके **"राइट टू बी फॉरगॉटन (RTBF)"** का हवाला देते हुए अपने वीडयिो, फोटो और लेख आदि को इंटरनेट से हटाने की मांग की गई है।

- याचकिाकर्त्ता द्वारा दायर याचकिा में यह भी कहा गया कि "राइट टू बी फॉरगॉटन" "नजिता के अधकिार" के अनुरूप है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधकिार) का एक अभनि्न अंग है।

प्रमुख बदि

परचिय:

- **राइट टू बी फॉरगॉटन (RTBF):** यह इंटरनेट, सर्च , डेटाबेस, वेबसाइटों या कसिी अन्य सार्वजनकि प्लेटफॉर्म से सार्वजनकि रूप से उपलब्ध व्यक्तगित जानकारी को उस स्थतिमिें हटाने का अधकिार है जब यह व्यक्तगित जानकारी आवश्यक या प्रासंगकि नहीं रह जाती है।
- **उत्पत्त:ि** गूगल स्पेन मामले में **यूरोपीय संघ के न्यायालय ("CJEU") के वर्ष 2014 के नरि्णय के बाद RTBF प्रचलन** में आया।
  - RTBF को सामान्य डेटा संरक्षण वनियिमन (General Data Protection Regulation- GDPR) के तहत यूरोपीय संघ में एक वैधानकि अधकिार के रूप में मान्यता दी गई है।
  - यूनाइटेड कगिडम और यूरोप में कई न्यायालयों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है।
- **भारत में स्थति:ि** भारत में **ऐसा कोई कानून नहीं है जो वशिष रूप से भूल जाने के अधकिार का प्रावधान करता हो।** हालाँकि नजिी डेटा संरक्षण वधियक (Personal Data Protection Bill) 2019 इस अधकिार को मान्यता देता है।
  - सूचना प्रौद्योगकिी अधनियिम **(Information Technology Act), 2000** कंप्यूटर ससि्टम से डेटा के संबंध में कुछ उल्लंघनों के खलिाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
    - इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर ससि्टम और उसमें संग्रहीत डेटा के अनधकिृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक और RTBF:

- दसिंबर, 2019 में व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक लोकसभा में पेश कयिा गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तयिों के व्यक्तगित डेटा की सुरक्षा के लयि प्रावधान करना है।
- "डेटा प्रसिपिल के अधकिार" शीर्षक वाले इस मसौदा वधियक के अध्याय V के खंड 20 में 'राइट टू बी फॉरगॉटन' का उल्लेख है।
  - इसमें कहा गया है कि "डेटा प्रसिपिल (जसि व्यक्तसिे डेटा संबंधति है) को 'डेटा फडि्यूशरी' द्वारा अपने व्यक्तगित डेटा के नरिंतर प्रकटीकरण को प्रतबिंधति करने या रोकने का अधकिार होगा।"
  - इसलयि मोटे तौर पर 'राइट टू बी फॉरगॉटन' के तहत उपयोगकर्त्ता डेटा न्यासयिों द्वारा रखी गई अपनी व्यक्तगित जानकारी के प्रकटीकरण को डी-लकि कर सकते हैं, सीमति कर सकते हैं, हटा सकते हैं या सही कर सकते हैं।
    - डेटा फडि्यूशरी का अर्थ है कोई भी व्यक्त,ि जसिमें राज्य, कंपनी, कोई कानूनी संस्था या कोई भी व्यक्तशिामलि है, जो अकेले या दूसरों के साथ मलिकर व्यक्तगित डेटा प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को नरि्धारति करता है।
  - **डेटा सुरक्षा प्राधकिरण (DPA):** यद्यपि व्यक्तगित डेटा और जानकारी की संवेदनशीलता को संबंधति व्यक्तिद्वारा स्वतंत्र रूप से

निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (DPA) द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।

- इसका मतलब यह है कि ड्राफ्ट बिल कुछ प्रावधान करता है जिसके तहत एक डेटा प्रिंसिपल अपने डेटा को हटाने की मांग कर सकता है, उसके अधिकार DPA के लिये काम करने वाले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर द्वारा प्राधिकरण के अधीन हैं।
- डेटा प्रिंसिपल के अनुरोध का आकलन करते समय इस अधिकारी को व्यक्तिगत डेटा की संवेदनशीलता, प्रकटीकरण के पैमाने, प्रतिबंधित होने की मांग की डिग्री, सार्वजनिक जीवन में डेटा प्रिंसिपल की भूमिका और कुछ अन्य के बीच प्रकटीकरण की प्रकृति की जाँच करने की आवश्यकता होगी।

निजिता का अधिकार और 'राइट टू बी फॉरगॉटन':

- 'राइट टू बी फॉरगॉटन' किसी व्यक्ति के निजिता के अधिकार के दायरे में आता है, जिसे प्रायः व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 द्वारा विनियमित किया जाता है।
- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक **पुट्टस्वामी मामले** में अपने निर्णय में **'निजिता के अधिकार' को मौलिक अधिकार घोषित किया** था।
  - न्यायलय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि 'निजिता का अधिकार अनुच्छेद-21 के तहत**जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार** के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है।'

चुनौतियाँ

- **सार्वजनिक रिकॉर्ड के साथ टकराव:** 'राइट टू बी फॉरगॉटन' अथवा भूल जाने का अधिकार सार्वजनिक रिकॉर्ड से जुड़े मामलों के विरुद्ध हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये न्यायालयों के निर्णयों को हमेशा सार्वजनिक रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-74 के अनुसार इन्हें सार्वजनिक दस्तावेज़ की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
  - आधिकारिक सार्वजनिक रिकॉर्ड, विशेष रूप से न्यायिक रिकॉर्ड को 'राइट टू बी फॉरगॉटन' के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह दीर्घकाल में न्यायिक प्रणाली में आम जनता के विश्वास को कमज़ोर करेगा।
- **व्यक्ति बनाम समाज:** 'राइट टू बी फॉरगॉटन' व्यक्तियों की निजिता के अधिकार और समाज के सूचना के अधिकार तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बीच दुविधा पैदा करता है।

आगे की राह

- गोपनीयता के अधिकार और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा (अनुच्छेद-21) तथा इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की सूचना की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-19) के बीच संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- डेटा संरक्षण कानून के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित किया जाना आवश्यक है और दो मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष को कम किया जाना चाहिये जो भारतीय संविधान के **स्वर्ण त्रिमूर्ति (अनुच्छेद-14,19 और 21)** का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/right-to-be-forgotten-2